न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 101/2018

उनवान

राधाकिशन मुतबन्ना मदन जाति नाई निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 25/3/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नमबर 1372 रकबा 0.42 की आराजी वादी के दत्तक माता की पुश्तैनी खातेदारी की है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी वादी की दत्तक माता भूली पत्नी मदना के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी की दत्तक माता व पिता का स्वर्गवास हो गया है। वादी को उसकी माता दत्तक भूली ने जायन्दा पुत्र नही होने के कारण हिन्दु रिति रिवाज से गोद लिया था। वादी ने अपनी दत्तक माता की सेवा की व उसके कियाकर्म पुत्र की भाति किये है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा अथवा वारिसान का दस्तावेज सलंग्न नही किया है। अतः वाद पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी के खातेदार भूली पत्नी मदना ने वादी को गोद लिया था। अतः वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किये जाते है।

तनकी संख्या 1 :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में भूली पत्नी मदना के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी का कथन है कि भूली पत्नी मदना के कोई जायन्दा पुत्र नही होने के कारण उसके द्वारा वादी को हिन्दु रिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रिवाज से गोद लिया था। किन्तु वादी ने गोद लिये जाने बाबत कोई गोदनामा अथवा लिखत पढत पत्रावली में पेश नही की है। गोद जाने की कोई मौखिक साक्ष्य भी वादी द्वारा पेश नही की गयी है। भूली पत्नी मदना का शजरा व स्वयं का आधार कार्ड, राशन कार्ड अन्य दस्तावेज जिसमें वादी के पिता का नाम मदना दर्ज हो वादी द्वारा पेश नही किया गया है। वादी के पास रजिस्टर्ड गोदनामा नही है किन्तु गोद जाना व गोद लेने के तथ्य साक्ष्य अथवा दस्तावेज से सिद्व करने होते है जो कि वादी द्वारा सिद्व नही किये है। राज. पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन किया है। भूली पत्नी मदना के कोई अन्य विधिक वारिस नही होने का प्रमाण भी वादी प्रस्तुत नही कर वाया है। अतः पर्याप्त मौखिक व लिखित साक्ष्य के अभाव में तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती हैं।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नमबर 1372 रकबा 0.42 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान
राधाकिशन बनाम राज. सरकार
दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 101/2018
पेश करने की दिनांक – 02.07.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नमबर 1372 रकबा 0.42 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested